18.11.22 पत्रावली देखी दोनों अधिवक्ता अपीलांट अनुपस्थित। न्यायालय समय तक इत्तला किया बावजूद छलना अनुपस्थित। अपील अपीलांट अदम पैरवी एवं अदम रुचि में खारिज की जाती है पत्रावली फैसल शुमार नेक्ट से कम होकर बाद मामील तकमील दाखिल दफ्तर हो आदेश सेर इत्तलाह सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर